गैंगरेप केस सुलझाने वाले 4 इंस्पैक्टरों समेत 16 को पुरस्कार

▶▶ कांस्टेबल पदोन्नत ▶▶ सभी को क्लास-1 सर्टीफिकेट के साथ 10-10 हजार का कैश इनाम

-कांस्टेबल अशोक को दी गई हैड कांस्टेबल (ओआरपी रैंक) प्रमोशन

चंडीगढ़, 24 जनवरी (लूना): सैक्टर-53 के जंगलों में पिछले साल हुए गैंगरेप के मामले को सुलझाने वाले चंडीगढ़ पुलिस के चार बहादुर इंस्पैक्टरों समेत 16 पुलिसकर्मियों को डीजीपी तेजिन्द्र सिंह लूथरा व एसएसपी निलांबरी विजय जगदले ने 10-10 हजार रुपए का नकद ईनाम व क्लास-1 सर्टीफिकेट देकर सम्मानित किया है। साथ ही डीजीपी ने गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मुहम्मद इरफान की गिरफ्तारी में अहम रोल निभाने वाले सैक्टर-49 थाना पुलिस में तैनात अशोक कुमार को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल (ओआरपी रैंक) प्रमोट कर दिया है।

इंस्पैक्टर राम रत्न शर्मा।

इंस्पैक्टर रंजोध सिंह।

इंस्पैक्टर नसीब सिंह।

इंस्पैक्टर गुरजीत कौर।

चौकी इंचार्ज-61, ओम प्रकाश।

सब इंस्पैक्टर अशोक कुमार।

प्रमोट हुए हैड कांस्टेबल अशोक कुमार।

एसएसपी निलांबरी विजय जगदले।

मामला पिछले साल 17 नवंबर की रात करीब 8.30 बजे मूल रूप से देहरादून की रहने वाली 21 साल की लड़की ने सैक्टर-36/37 लाइट प्वांइट पर आटो हायर किया था। आटो में चालक के अलावा दो और बैठे हुए थे जिससे युवती ने अंदेशा लगाया कि सवारी होगी। सैक्टर-42 की लेक वाली रोड पर आटो में एलपीजी खत्म हो गई थी। आटो मे बैठे दो लोग आटो को धक्का मारते-मारते सैक्टर-42 पेट्रोल पंप पर ले गए जहां से डीजल भरवाने के बाद वहां से निकले और आगे जाकर यूटर्न लेने के बाद आटो चालक ने बहाना लगाया कि आटो खराब हो गया। युवती जैसे ही आटो से नीचे उतरकर पैसे देने लगी तो तीनों ने उसे धकेल कर जंगल की ओर ले गए जहां तीनों ने उसका गैंगरेप कर डाला। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आटो समेत वहां से फरार हो गए थे और उक्त पंप पर आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। युवती सड़क किनारे रो रही थी कि बाइक पर सवार दो युवकों द्वारा पूछने पर उसने बताया और फिर पुलिस को सूचना दी गई थी। फिर पुलिस ने पीड़िता के ब्यानों पर सैक्टर-36 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था।

ऐसे पकड़ा गया था पहला आरोपी

वारदात के बाद आरोपी इरफान ने अपना आटो छुपा लिया और उसने अपनी दाड़ी मूछें बनवा ली थी। सैक्टर-49 में तैनात कांस्टेबल अशोक बलटाना के पास अपना मकान बना रहा था और उसने अपने ठेकेदार को आरोपी की तस्वीरें व आटो की तस्वीरें दिखाई थी। ठेकेदार भी इरफान के घर के आसपास ही कहीं रहता है। जब अशोक ने पूरा वैरीफाई करवाया तो आटो वैसा सा मिलता जुलता निकला। कांस्टेबल ने जब इरफान को देखा तो उसने दाड़ी मूछें बनवाई हुई थी। इस पर कांस्टेबल अशोक को उस पर शक हुआ। जिसके बाद उसने सैक्टर-49 थाना प्रभारी रंजोध सिंह को खबर दी। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई और आरोपी को जीरकपुर से 24 नवंबर की रात 2 बजे उठा लिया गया था।

किस्मत से मिली लीड और पकड़ा गया था गरीब

इरफान की गिरफ्तारी के बाद मलोया थाने के पूर्व एसएचओ राम रत्न शर्मा, सब इंस्पैक्टर अशोक कुमार, कांस्टेबल पलविन्द्र, वरिन्द्र व वॉलंटियर मेजर को बाकी दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी भेजा गया था। पुलिस यूपी के गांव मुजाफिर खाना पहुंची, जहां पुलिस की सूझबूझ से आरोपी किस्मत अली उर्फ पोपू (21) को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी किस्मत से पुलिस को लीड मिली और फिर आरोपी गरीब को गांव लखौरी जिला फैजाबाद (यूपी) से गिरफ्तार किया गया था।

...और इन्हें मिला बहादुरी का ईनाम

ईनाम पाने वाले इंस्पैक्टरों ने बताया कि डीजीपी तेजिन्द्र सिंह लूथरा व एसएसपी निलांबरी विजय जगदले की सुप्रविजन व बहतर तालमेल के जरिए ही आरोपी पकड़े गए थे।

सैक्टर-49 थाना : पूर्व एसएचओ इंस्पैक्टर रंजोध सिंह, कांस्टेबल देविद्र सिंह, कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल जयवीर, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल आजाद, कांस्टेबल अश्वनी।

मलोया थानाः पूर्व एसएचओ राम रत्न शर्मा, सब इंस्पैक्टर अशोक कुमार, कांस्टेबल पलविन्द्र सिंह, कांस्टेबल वरिन्द्र कुमार व वॉलंटियर मेजर। सैक्टर-36 थानाः एसएचओ नसीब सिंह व सैक्टर-61 चौकी प्रभारी ओम प्रकाश, एएसआई सतीश कुमार सैक्टर-31 थानाः एसएचओ गुरजीत कौर।

> गैंगरेप केस को सुलझाने में इन 17 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की बहादुरी रंग लाई थी। इन सभी का रिवार्ड के लिए नाम भेजा गया था। सभी पुलिसकर्मियों को ऐसे ही बेहतर काम करना चाहिए और आगे भी ऐसी बहादुरी दिखाने वाले को रिवार्ड किया जाएगा।
>
> निलांबरी विजय जगदले, एसएसपी यूटी।

दैनिक सवेरा Thu, 25 January 2018
dainiksaveratimes.epapr.in//c/25674088

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को 1800 जवान तैनात, चप्पे-चप्पे पर निगाह

परेड ग्राऊंड के चारों तरफ पुलिस जवान हुए तैनात, परेड गाऊंड में हुई फुल ड्रैस रिहर्सल

चंडीगढ़, 24 जनवरी (सुशील राज): गणतंत्र दिवस को लेकर सैक्टर-17 स्थित परेड ग्राऊंड में बुधवार को फुल ड्रैस रिहर्सल हुई। रिहर्सल में पुलिसकर्मियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड ग्राऊंड को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। परेड ग्राऊंड की तरफ जाने वाली सड़क पर बैंरिकेट्स लगाकर वाहनों की चैकिंग की जा रही थी।

पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। शहर के सभी एंट्री प्वाइंट पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग और सार्वजनिक स्थान पर संदिग्धों पर नजर बनाई हुई है। सैक्टर-43 और 17 बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और मार्कीट में डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल टीम ने चैकिंग शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस पर 1800 पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा का जिम्मा रहेगा।

एस.एस.पी. खुद देखेंगे सुरक्षा के इंतजाम

एस.एस.पी. निलांबरी विजय जगदले और एस.एस.पी. सिक्योरिटी शशांक आनंद खुद सुरक्षा के इंतजाम देखेंगे। इसके अलावा डी.एस.पी. और इंस्पैक्टरों की खास ड्यूटी लगाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त होने के बाद जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पुलिसकर्मी ट्रैफिक लाइट बंद करके मैनुअल तरीके से वाहनों को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राऊंड के सामने शोरूमों पर ऑपरेशन सैल के कमांडो की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कमांडो संदिग्धों पर नजर बनाए रखे।

पंजाब केसरी ई-पेपर Thu, 25 January 2018
epaper.punjabkesari.in//c/25674070

FROM THE COURTS

Hallomajra man gets 5-yr jail for sodomising minor

GUILTY UNDER SECTION 377 The accused was booked in January 2017 on the complaint of the 7-year-old's father

HT Correspondent

chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The district court of Chandigarh awarded five years of rigorous imprisonment (RI) to a Hallomajra resident for having unnatural sex with a minor.

The court of additional district and sessions judge JS Sidhu convicted Arjit Patra under Section 377 (unnatural offences), read with section 511 (punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment) of the Indian Penal Code (IPC) and Section 9 (aggravated sexual assault) of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The court also imposed fine of ₹2,000 on the convict.

On January 29, 2017, Patra was booked on the compliant of father of 7-year-old victim.

The complainant was at his house when he heard the cries of his son from the roof of the house.

It was also mentioned that Arjit Patra was committing unnatural sexual intercourse with his son.

After seeing the complainant, Patra ran away.

The police nabbed him on the same day and the medical of the victim was also conducted.

The defence counsel argued that he was falsely implicated.

However, the victim had identified the accused in the court.

COURT HAS IMPOSED A FINE OF ₹2,000 ON CONVICT IN ADDITION TO RIGOUROUS PUNISHMENT

YOUTH ACQUITTED OF RAPE CHARGE AFTER VICTIM CHANGES STATEMENT

HT Correspondent

chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The court of additional and sessions judge Poonam R Joshi acquitted a rape accused on Wednesday after the 14-year-old victim changed her statement.

The accused, Irfan, a resident of Mauli Jagran was booked under Sections 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) and 354-A (sexual harassment) of the Indian Penal Code (IPC) and Section 12 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

In her complaint in September 2017, the victim had alleged that Irfan had approached her for friendship while she was on her way to her tuition in Mauli Jagran. When she turned him down, he held her at knifepoint and raped her. When she raised the alarm, Irfan fled the scene.

Defence counsel Sunil K Chandalia contended that the statements provided by the victim to the police and the court were different.

He argued that the teenager told the police that Irfan stopped her in Mauli Jagran, but during cross examination in court, she changed the location to the third floor of a building where she attended her tuitions.

Ram Darbar man held guilty of raping woman

CHANDIGARH: A Ram Darbar resident was found guilty in a rape case by a local court on Wednesday. Ravi Kumar, 28, was found guilty of raping a woman after forcibly taking her to a hotel. The quantum of sentence will be pronounced on January 29.

He was booked under Sections 363 and 376 of the IPC and Sections 4 and 6 of the POCSO Act in May last year. However, the victim was found to be an adult during the trial and Kumar was found guilty under only Section 376.

The victim in her statement said, on May 2, 2017, she had gone to Burail village for shopping with a friend. When she reached there she met Kumar, whom they knew.

She was forcibly taken to a hotel and made to drink beer and was repeatedly slapped by Kumar after which she lost consciousness.

Later, she was raped. After she regained consciousness, she went home and informed her family who took her to the police. The police conducted her medical examination, which confirmed rape. **HTC**

Hindustan Times Dt: 25/01/2018